

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—नरेश कुमार शर्मा
आई०ए०एस०

प्रा० पत्र सं० 106/2010

सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी) दौसा

..प्रार्थी

बनाम

कजोड पुत्र भौरी लाल जाति बागरिया निवासी खुरीकलां तहसील व जिला दौसा
..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ०धा० 14 (4)
भू-आवण्टन नियम-1970

- उपस्थिति—1. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार
2. श्री रघुवीर सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 30.10.2017

संक्षिप्त वृतांत प्रा० पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.06.1989 को ग्राम बापी तहसील दौसा के आ०ख०नं० 1890 रकबा 0.63 है० भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ०धा० 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा० पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अप्रार्थी को दिनांक 21.06.1989 को ग्राम बापी तहसील दौसा के आ०ख०नं० 1890 रकबा 0.63 है० भूमि आवण्टित की गई थी। किंतु अप्रार्थी द्वारा आवण्टित भूमि का आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। अतः आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन निरस्त किया जावे।



अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि अप्रार्थी को भूमिहीन होने के कारण आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत आवंटन किया गया है। अप्रार्थी सदैव से काशत करता चला आ रहा है। कभी कभार बारिश नहीं होने पर फसल नहीं बोई जाती है। इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई किंतु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि को जोत लगाकर छोड़ रखा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटन बहाल रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जाँच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.06.1989 को ग्राम बापी तहसील दौसा के आ0ख0न0 1890 रकबा 0.63 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि की शर्तों की पालना नहीं की गई। क्योंकि मौके पर आज भी भूमि खाली (पडत) पडी हुई है तथा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। जबकि आवंटन हुए लगभग 28 वर्ष बाद भी गैरखातेदारी दर्ज है। इससे स्पष्ट होता कि आवंटित भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और आवंटित भूमि की काशत में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। जिससे आवंटित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते हैं। अप्रार्थी द्वारा बहस में आवंटित भूमि पर काशत करना बताया गया है किंतु उन्होंने ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आवंटन खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 21.06.1989 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 30 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

